Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 09/2024

श्री सुदर्शन सूरी
निवासी– 182 राजपुर रोड,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 03/09/2024

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding acess amount of billing. The Complaint submits and prayer is made below:-

1. That the present complaint/grievance petition is directed against the assessed units charged through electricity bill dated 01.03.2024 for the month of 02/2024 (hereinafter, referred to as the 'impugned bill') issued by Uttarakhand Power Corporation Limited, respondent herein, whereby, the UPCL has added additional 14559 units in addition to the monthly consumption for the period 31.01.2024 to 29.02.2024.

A true copy of the impugned bill dated 01.03.2024 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

2. That the factual matrix leading to filing the present grievance petition are detailed herein below:

i. That the petitioner/ complainant herein (hereafter referred to as the petitioner/complainant) is 93 years old is residing at 182 Rajpur Road.

ii. That the petitioner/ complainant with a contract load of 30 KW is the consumer of respondent vide Cable/Connection No. 700K000010854 and A/C No. 40109569854 consumption charges as per demands being raised by the UPCL/ respondent through monthly bills and there has been no default on the part of the complainant, since the connection was released.

iii. That when the bill dated 01.03.2024 for the month 02/2024 was received an additional 14559 units was found added apart from the regular monthly consumption. Further no breakup or the details of amount added was provided to the petitioner by any means whatsoever.

iv. That the authorised representative of the complainant immediately visited the office of the respondent to enquire about the additional units. However no cogent esplanation was

given by respondent and the nation war directed to play the bit to as to avond disconnection and submit the application for the query.

v. That the payment of the bill was made substrquently under protest and thereafter a letter No. 799 dated 01.03.2024 from EDD (N) has also been received informing that the check moter has been installed in thePremises of petitioner whersin, main mater was found 36.48% slow.

vi. That the complainant submitted her letter dated 20.03.2024 and apprised Executive Engineer, EDD (N) that the sealing certificate was got signed by the worker who was never authorized and that it was never intimated that this exercise of check meter study is not routine testing and may lead to any financial liability subsequently. Further it is also bring to the notice that no NABL test report of LT-CT and check meter is given informed to the consumer as is explicitly mentioned in the sealing certificate 1962 dated 16.01.2024. Thus the respondent was requested to investigate the matter at their end. The copy of the letter dated 20.03.2024 of the petitioner is attached at **ANNEXURE-2.**

vii. That now the bill for March 2024 has been received however, the required adjustment has not been done till now.

viii. That as against principles of natural justice and fair play, the respondent never heard the petitioner before adding the alleged units/amount in the impugned bill.

ix. That the respondent have neither replied to the letter nor done the needful for redressal of the grievances of the complainant.

3. That being aggrieved with the impugned bill by UPCL, the complainant is approaching this Hon'ble Forum by way of the present grievance petition on the following amongst othe ground-

a) **BECAUSE** the impugned bill and notice raised by UPCL has been issued by in a most illegal, obscure, erroneous, arbitrary, unwarranted, perverse, irregular and unjust manner in clear violation of the settled proposition of law resulting in manifest injustice and causing serious prejudice to the complainant and hence, the same deserves to be quashed and set aside.

b) **BECAUSE** it is well settled proposition of law that a person cannot be penalized or asked to pay undue amount by the State without the same actually having been fallen due and is . permissible in law.

c) **BECAUSE** the meter was working correctly and there was no occasion and reason that may attribute to the alleged units/amount added in the impugned bill.

d) **BECAUSE** no tampering of the metering system was done by the petitioner/ complainant and also no allegations regarding the same has been levelled by the respondent.

e) **BECAUSE** the main meter was removed without giving the test report and usurping the right of complainant to get the meter tested by an electrical nspector. The meter was also removed and taken away in the unsealed Condition. The make, model and serial no. of the current transformers were also not recorded in the sealing certificates.

f) **BECAUSE** the alleged check ineter study is arbitrary, unilateral, illegal against the procedure as established in law and misuse of power to the presudice of the ccomlainant.

g) **BECAUSE** no documents/ records whatsoever was provided to the petitioner on the basis of which the alleged amount has been added in the impugned electricity bill.

4. That under the above circumstances, complainant is left with no alternative but to approach this Hon'ble Forum by way of present grievance petition for necessary relief and redressal. It is humble and respectful submission of the petitioner/ complainant that the arbitrary amount added via impungned bill is liable to be quashed and set aside by this Hon'ble Forum.

5. That there is no efficacious alternative remedy available to the petitioner complainant for the relief prayed for in this petition complaint.

6. That the petitioner /complainant has not previously filed a similar grievance petition in this Hon'ble Forum, in the High Court or in any other Court/Forum in India.
7. That this grievance petition is filed bona fide in the interest of justice and without delay.
8. That the respondent may be directed to provide the necessary records, documents on the basis of which the arbitrary amount was added in the impugned electricity bill so that the petitioner may get a fair chance to submit the detailed representation in accordance with law and Hon'ble Forum may be pleased to accept the supplementary representation.

PRAYER

In the premises aforesaid, it is most humbly and respectfully prayed that this Hon'ble Forum may graciously be pleased to:

a) Call for records of the case for perusal
b) Direct the respondent to provide NABL certificate and NABL test report of LT CT and check meter.
c) Direct the respondent to provide the copy of the complete billing history to the complainant.

d) Quash and set aside the impugned bill dated 01.03.2024 for the month of 02/24, being the same illegal, arbitrary, perverse, malafide and unjust.

e) Pass any other order or direction, which this Hon'ble Forum may deem fit and proper on the facts and circumstances and in the interest of justice

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1552 दिनांकित 27/04/2024 से मंच को अवगत कराया है की श्री सुदर्शन सूरी संयोजन सं0 700K000010854 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मीटर के एक फेस पर लो–वोल्टेज रिकार्ड की जा रही थी, जिसका डेटा Analysis करने पर मैसर्स सांई कंप्यूटर लि0 द्वारा उपभोक्ता के मीटर की Abnormality को ट्रेस करके विद्युत परीक्षण खण्ड (नगरीय) देहरादून को अवगत कराया गया। विद्युत परीक्षणशाला (उत्तर) के द्वारा उक्त संयोजन पर दिनांक 16.01.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 07.02.2024 को विद्युत परीक्षणशाला (उत्तर) द्वारा उक्त चैक मीटर को Finalize किया गया। जिसके अवलोकन करने पर मेन मीटर (उपभोक्ता का मीटर) चैक मीटर के सापेक्ष 36.48% slow चलता हुआ पाया गया। सहायक अभियन्ता परीक्षण द्वारा प्रेषित की गयी रिर्पोट के अनुसार उक्त मीटर पर लो वोल्टेज की रिर्काडिंग दिनांक 28.09.2023 से पायी गयी, जिसके आधार पर इस खण्ड द्वारा उपभोक्ता के बिल में दिनांक 28.09.2023 से कम खपत की गयी यूनिट का आगणन कर कुल 14559 यूनिट का निर्धारण किया गया, साथ ही उपरोक्त के क्रम में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक शून्य से मंच को बिन्दुवार निम्नानुसार अवगत कराया है :–

i. It is to state that the valid test report was provided to the consumer that was issued by the NABL-accredited agency M/S YMPL, which has NABL accreditation for testing meters and their accessories on-site. (Annexure 1)

ii. A check meter was installed, and the sealing certificate, duly signed by the consumer, is attached herewith. In the final meter sealing, the difference between the main meter

and the check meter is mentioned, along with the slow percentage of the consumer's meter.

iii. The contents of para 1(iii) of complaint's rejoinder are wrong and denied According to the. prevailing regulation 5.1.3 (Testing of meters) prior information of date of testing of meter is mandated in the case where testing of meter is requested by the consumer. However, the Licensee retains the right to access consumer premises for the purpose of checking and testing meters whenever necessary, , in accordance with system requirements. In the present case, an anomaly was detected in the metering system, and therefore, the due procedure was followed.

If any abnormality is observed by the Licensee, which may be due to various reasons (eg., deliberate tampering with the meter by the consumer etc), in such cases, advance notice for the testing of the meter may provide consumer an opportunity to rectify such abnormalities and eliminate the wrongdoing, which could lead to revenue loss for the corporation.

iv. Please refer to sub- clause no. 10 b) of clause 5.1.3 (Testing of Meter) of regulation, which is reproduced as below:

10 (b) When the meter is found to be slow beyond permissible limit as specified by BIS and the consumer does not dispute the accuracy of the text the licences shall replace/ rectify the defective meter within 15 days of testing. The consumer shall pay the difference due to defect in the meter at normal rates, based on percentage error, for a maximum period of not more than 12 months or less depending on period of

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

installation of meter or previous testing date prior to date of test and up to the date on which defective meter is replaced/ rectified.

Please also refer to sub- clause no. 11 of clause 5.1.3 (Testing of Meter) of regulation, which is reproduced as below:

"Wherever the testing of meter is being done, signature of the consumer, or his authorised representative, if present would be obtained on the test report and a copy thereof shall be supplied to the consumer"

In the current case, the consumer did not apply for texting of the meter. Instead, the Licensee observed the abnormality and the check meter was installed in analyse and asses the correct difference knowledge of energy that was lost due to the anomaly in the metering system with the knowledge of the consumer. The sealing certificate was duly signed by the consumer/ their representativa present during the installation and finalization of the check meter, and the assessment was made accordingly. There is no issue of non-compliance with clause 5.1.3 (Testing of meters) of UERC Supply Code, 2020.

2- As already stated above, it is to submit that M's YMPL is an NABI accredited agency for testing of LT CT meters at site, and work under no 1065//PCL/CE/CCP-11/5/2022-2023 dated 03.02.2023 was awarded by UPCL. Therefore, necessary testing of meter and CTs was performed at site by UPCL.

3- The point mentioned has been addressed in the above reply.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Reply of Supplementary Points

4- UPCL, via agreement No. 1065/UPCL/CE/CCP-11/5/2022-2023 dated 03.02.2023, allotted the work of Onsite online and offline testing and checking & Testing of LT Three phase CT Connected meter the M/s YMPL. Therefore, the testing of the LT meter and LT CT was carried out by M/S YMPL.

5- This is to clarify that corresponding testing was performed on 05.10.23 ar site and the result was obtained on same date but due to some reasons the test report was delivered in the month of Jan-24. However, the report is perfectly valid and cannot be denied.

6- The Licensee (UPCL.) has followed all procedures in accordance with the prevailing rules of the UERC Supply Code, 2020 for meter testing, ensuring that the consumer's interests are not hampered in any way. Instead, the correct energy is assessed rightfully by means of the check meter, as provided in the supply code. Therefore, the consumer's rights will not be affected by the type of arrangement UPCL has with the NABL accredited testing agency.

7- At the time of updating the meter sealing on the online billing system, the Junior Engineer mistakenly entered an incorrect MF, inputting instead of 15. This error was later corrected, and the electricity bill for the period from February 2024 to May 2024 was revised accordingly.

8- The check meter was installed on 16.01.2024 and finalized on 07.02.2024. The meter seals were not opened before the finalization of the check meter, and it is evident from

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

the MRI report analysis that the missing potential was not restored till the finalization of check meter. (Copy of MRI report is enclosed- Annexure-2)

9- The meter chamber was not opened before the finalization of the check meter on 07-02-2024, and all the meter and seal attributes, as per the standard format, have been mentioned in the sealing certificate. However, if the consumer had requested to verify the serial number of the CTS, UPCL would have allowed them to witness the said numbers at the time of check meter installation. It should be noted that the CT ratio is mentioned on both the meter sealings (installation and finalization). Additionally, as previously mentioned, during the update of the meter sealing in the online billing system, the Junior Engineer mistakenly input an incorrect MF of I instead of 15, which was later corrected.

10- Please refer to sub-clause 12 of clause 5.1.3 (Testing of Meter) of regulation, which is reproduced as below:

"If the consumer or his representative disputes or refuses to sign the test report, the defective meter shall not be replaced and the matter shall be decided either (a) upon the application of consumer, by CGRF or Electrical Inspector or any authorized third party, who shall test the correctness of the meter and give results within 1 month, or (b) upon the application of Licensee, by Electrical Inspector or any authorized third party, who shall test the correctness of the meter and give results within one month

In the above case, the check meter was installed which was in the knowledge of consumer. The meter sealing certificate was duly signed by the consumer/ their representative present during the installation and finalization of the check meter. The

consumer did not raise any issue during the installation and finalization of the check meter. So, as per prevailing rules mentioned in the regulation, there was no issue to refer the matter to the CGRF, Electrical Inspector, or any other authorized third party at the time of check meter finalization.

11- The point mentioned has been addressed in the above reply. The check meter was installed and finalized with the knowledge of the consumer. The sealing certificate duly signed by the consumer/ their representative during the installation and was finalization of the check meter, and the assessment was also done based on the check meter report. There is no issue of non- compliance with clause 5.1.3 (Testing of meters) of UERC Supply Code, 2020.

12- It is evident from the above facts that all the procedures mentioned in the regulations were followed by the Licensee for the installation and finalization of the check meter.

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की मंच द्वारा गहनता से जॉच की गई एवं विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायती के क्रम में प्रस्तुत आख्या पत्रांक शून्य के संबंध में निम्न कमियां पाई गई:–

1. विपक्षी द्वारा उपरोक्त आख्या के बिन्दु संख्या 01(i) में उल्लेख किया है कि उपभेक्ता को वैध परीक्षण रिर्पोट प्रदान की गई थी जो कि NABL मान्यता प्राप्त एजेंसी YMPL द्वारा जारी की गई थी, जिसके पास साईट पर मीटर और उसके सहायक उपकरण के परीक्षण के लिए NABL मान्यता है।

उक्त बिन्दु के सन्दर्भ में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध Yadav Measurment Provide Limited Certificate of Calibration का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि YMPL के मीटर संख्या

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

22224792 से परिवादी के मीटर संख्या UPC89632 को जॉच किया गया है। उक्त मापक की YMPL सर्टिफिकेट सं0 YMPL/DUN305/151462 के 4 बिन्दु द्वारा Date of Calibration 05/10/2023 को जॉचा गया एवं उक्त रिर्पोट 01.01.2024 को जारी की गई जबकि उपरोक्त सर्टिफिकेट के पेज संख्या 2 के अनुसार Calibration valid up to 28/12/2023 तक ही वैध थी, जिससे स्पष्ट है कि जिस तिथि में जॉच रिर्पोट जारी की गई उस तिथि में उपरोक्त YMPL की लैब का उक्त Calibration वैध था।

2. विपक्षी द्वारा उपरोक्त आख्या के बिन्दु संख्या 05 में उल्लेख किया गया है कि संबन्धित परीक्षण 05.10.2023 को साईट पर किया गया था और परिणाम उसी तारीख प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से परीक्षण रिर्पोट जनवरी 2024 के महीने में जारी की गई थी।

उक्त के बिन्दु के संदर्भ में मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपवलब्ध YMPL Certificate of Calibration में सार्टिफिकेट नं0 YMPL/Dun 305/181462 का अवलोकन किया गया। जिसमें 4 Calibration details में date of issue 01/Jan/2024, date of calibration 05/Oct/2023 अंकित है जबकि उपरोक्त सर्टिफिकेट के पेज संख्या 02 में calibration valid upto 08/Dec/2023 अंकित है जिससे यह संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि विपक्षी द्वारा विद्युत मापक जॉच करने के पॉच माह के उपरान्त calibration validity दिनांक 28.12.2023 को समाप्त होने के उपरान्त 01.01.2024 को जांच रिर्पोट जारी की गई है।

विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में पर मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code,**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.1. (5) ,एवं **(6)** का उल्लंघन किया गया है।

3. विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त आख्या के बिन्दु संख्या 08 में उल्लेख किया गया है कि चैक मीटर 16.01.2024 को स्थापित किया गया और 07.02.2024 को फाईनल किया गया। चैक मीटर को फाईनल करने से पहले मीटर की सील नहीं खोली गई थी।

उक्त बिन्दु के सन्दर्भ में मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध सीलिंग प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया सीलिंग प्रमाण पत्र क्रमांक 1962, दिनांकित 16.01.2024 में मोडम/सिम/सील का विवरण जांचा गया जो निम्नवत् है– नई लगाई गई सील– meter Body -/4716 Meter T.P R/CE 29138 Meter Box 280052 अंकित है। शेष सभी CT/PT/ Chamber , MRZ Reading Port, LOK No. Continuity/ Paper seal no./ Seal status में खाली छोडा गया है, चैक मीटर फाईनल तिथि दिनांक 07.07.2024 में सीलिंग प्रमाण पत्र 1964/40 में पुराने मोडम/सिम/सील का विवरण में Meter T.P R/C 29138 को छोडकर सभी खानों को खाली छोडा गया है, जिससे स्पष्ट है कि चैक मीटर फाईनल करने से पूर्व ही Meter Body सील नं0 1014716 एवं Meter Bar सील 28052 हटा दी गई थी, जिस कारण चैक मीटर फाईनल सीलिंग प्रमाण पत्र में नही किया गया है। उपरोक्त सीलिंग प्रमाण पत्रों के अवलोकन से मंच के संज्ञान में यह भी आया है कि विपक्षी द्वारा CT/PT/Chamber को सील नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of**

New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 CT Ration and accuracy of CT/PT, wherever applicable shall also be tested along with meter के विनियमों एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नही किया गया है, जिस कारण चैक मीटर मापक की शुद्धता पर संदेह उत्पन्न होता है। एल0टी0 मीटरिंग सिस्टम के मामले में और मीटर की परिभाषा के **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 1 General 1.2 Definations (jj)** के अनुसार **CT** भी मीटर का भाग है।

अतः परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक को 36.48 प्रतिषत धीमा घोषित करने वाले चैक मीटर अध्ययन पर भरोसा नही किया जा सकता है। परिवादी द्वारा अपनी बात में इस बात पर बल दिया गया है (Further the serial no. and name plate details of the CT's have not been entered in the sealing certificates. Thus, now it cannot be established, ehich CT has been installed by the calculation and impugned test results has not veracity) जिससे परिवादी के मामले में नियमों का बल है और उनके द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिउत्तर भी उनके मामले का समर्थन करता है।

मंच द्वारा मान्नीय अैम्बडसमैन (विद्युत) 82, वंसत विहार फेस–1 देहरादून के वाद संख्या 43/2022 एवं वाद संख्या 03/2023 में पारित आदेशो का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरणों में विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत मापकों को मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 के विनियम अनुसार सत्यता स्थापित नही की गई है जिस कारण माननीय अैम्बडसमैन (विद्युत) 82, वंसत विहार फेस–1, देहरादून द्वारा चैक मीटर एवं मेन मीटर में पाए गये अंतर के आधार पर आरोपित निर्धारणों को समाप्त कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा चैक मीटर फाईनल सीलिंग संख्या 1964 / 40 दिनांक 07.02.2024 में चैक मीटर व मेंन मीटर में 36.48 प्रतिशत स्लो के अन्तर के आधार पर वादी के बिल में समायोजित राशि रू0 101185.05 / – के निर्धारण को समाप्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियम अनुसार सत्यता स्थापित किये बिना परिवादी पर चैक मीटर फाईनल सीलिंग संख्या 1964 / 40 दिनांक 07.02.2024 में चैक मीटर व मेंन मीटर में 36.48 प्रतिशत स्लो के अन्तर के आधार पर वादी के बिल में समायोजित राशि रू0 101185.05 / –

के निर्धारण को समाप्त करते हुए परिवादी को संशोधित बिल जारी करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज द्रेय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/09/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

03-09-2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 44 / 2024

श्रीमती चन्दा रावत, — परिवादी
नि0 पो0आ0 शेरपुर, चक्की वाली गली,
नियर शिमला बाईपास रोड़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 05.09.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी परिवादी द्वारा असाधारण विद्युत बिल संशोधित कराने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के कथानानुसार उनके विद्युत बिल में पिछले कुछ महीनों से निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि जनवरी में उनके द्वारा नया संयोजन लिया गया था जिसमें नया मीटर उनकी छत में लगाया गया। उन्हें प्रथम माह में सही विद्युत बिल दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा उन्हें विद्युत पोल लगवाने हेतु कहा गया जिसके क्रम में उनके द्वारा विद्युत पोल लगवाये गये, जिसके बाद फरवरी के महीने से उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आने लगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun–248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में अपने पत्रांक संख्या 461 दिनांकित 10/07/2024 द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया:–

1. उपभोक्ता को सभी बीजक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार ही निर्गत किए गए है।
2. माह मार्च 2024 के बिल के सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर लगाने हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन किया गया जिससे सापेक्ष कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.04.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित कर दिया गया और दिनांक 10.04.2024 को चेक मीटर की फाईनल रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 प्रतिशत का अन्तर पाया गया जो कि मानकों के अनुरूप हैं।
3. चेक मीटर फाईनल होने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत बिल अधिक आने के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित किया गया, जिसके सापेक्ष कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा मापक की एम0आर0आई0 की गई जिसकी आख्यानुसार मापक में अर्थ टेम्पर पाया गया। पुष्टि हेतु मापक की एम0आर0आई0 आख्या संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उपरोक्त विवादित अवधि में वास्तविक खपत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

05/09/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

05-09-
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 26/2024

श्रीमती विमला देवी नौटियाल पत्नी स्व0 सी0एम0 नौटियाल — परिवादी
निवासी– सृष्टि विहार कॉलोनी, लेन नं0 3,
मकान सं0—89, अजबपुर कंला, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 10.09.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत संयोजन सं0 CD17199556220 दिनांक 11.07.2023 को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु जमा राशि के उपरांत भी विद्युत संयोजन विच्छेदित न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि मैं विमला देवी नौटियाल पत्नी स्व0 सी0एम0 नौटियाल, पूर्व निवासी– सृष्टि विहार कॉलोनी लेन नं0–3 मकान सं0 89, अजबपुर कंला, देहरादून के द्वारा अपना मकान दिनांक 11 जुलाई 2023 को विक्रय कर विद्युत विभाग, आराघर द्वारा अपने मकान के 02 विद्युत संयोजन का पूरा बकाया भुगतान करके बन्द करवा दिय गया था जिसमें भू तल में साधारण कनेक्शन एवं प्रथम तल में सरकारी विद्युत संयोजन लगा हुआ था, जिसको मेरे द्वारा स्थानान्तरण करवाकर मेरे मूल निवास उत्तरकाशी में लगवा दिया गया था, परन्तु वर्तमान समय पर भी वह सरकारी कनैक्शन उप स्थान पर संक्रिय है जिसको विद्युत विभाग द्वारा आज तक निष्क्रिय नहीं किया गया है।

||

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः वर्तमान या भविष्य में इन दोनो विद्युत कनैक्शन में किसी भी प्रकार की कोई बिल या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी, क्योंकि विद्युत विभाग (आराघर) द्वारा मेरे मकान के प्रथम तल में जबरन घुस कर रहने वाली महिला को बिना किसी कागजी कार्यवाही के और न ही कोई मकान के लीगल पेपर जमा करवायें, मेरे नाम के सरकारी विद्युत कनेक्शन को उप महिला को दे दिया गया। अतः मेरी महोदय से आग्रह है कि इस शिकायत पर शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1923, दिनांकित 19/06/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती विमला देवी नौटियाल पत्नी स्व0 सी0एम0 नौटियाल, निवासी–लेन नं0 03 मकान सं0 89 सृष्टि विहार कालोनी , अजबपुर कलां, देहरादून के संयोजन सं0 CD17118212501 एवं CD17199556220 को विच्छेदित से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु मान्नीय मंच के सम्मुख प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था के सन्दर्भ में मान्नीय मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा अपने उक्त संयोजन विच्छेदित करने हेतु रू0 354.00 की रसीद कार्यालय में कटवाई गयी थी, अवर अभियन्ता द्वार अवगत कराया गया है कि उक्त साईट से मीटर उतारने हेतु साईट पर गये तो उपभोक्ता स्वंय वहॉ पर नहीं थे एवं कनेक्शन काटते ही एक महिला द्वारा भारी विरोध किया गया उनके द्वारा आपसी विवाद बताते हुए शपथपत्र दिया गया (संलग्न है), तथा कनेक्शन नही काटे जा सके ततपश्चात् उपभोक्ता द्वारा पुनः विद्युत कनेक्शन काटने हेतु कहा गया तो दोनों कनेक्शन को काट दिया गया है, किन्तु विद्युत संयोजन संख्या CD17199556220 का मीटर घर के अन्दर होने के कारण नही उतारा जा सका है, उपभोक्ता स्वंय गेट खोलकर अपनी उपस्थिति में मीटर उतरवाते है तो उक्त मीटर उतार कर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पी0डी0 कर दिया जायेगा, साथ ही मान्नीय मंच को अवगत कराना है कि वर्तमान में उक्त दोनो संयोजन कटे है और बिलिंग बन्द है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा मूल शिकायत उनके भवन पर भू–तल में साधारण कनैक्शन एवं प्रथमतल पर सरकारी (विभागीय) कनैक्शन लगा हुआ था, जिसको उनके द्वारा मूल रूप से स्थानातरण करवाकर अपने मूल निवास उत्तरकाशी में लगवा दिया गया था, परन्तु आज वर्तमान तिथि तक भी सरकारी (विभागीय) कनैक्शन उक्त स्थान पर सक्रिय है, जिसको की विद्युत विभाग द्वारा आज तिथि तक निष्क्रिय नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्रीमती विमला देवी नौटियाल पत्नी स्व0 सी0एम0 नौटियाल, निवासी–लेन नं0 03 मकान सं0 89 सृष्टि विहार कालोनी , अजबपुर कलां, देहरादून के संयोजन सं0 CD17118212501 एवं CD17199556220 को विच्छेदित से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु मान्नीय मंच के सम्मुख प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था के सन्दर्भ में मान्नीय मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा अपने उक्त संयोजन विच्छेदित करने हेतु रू0 354.00 की रसीद कार्यालय में कटवाई गयी थी, अवर अभियन्ता द्वार अवगत कराया गया है कि उक्त साईट से मीटर उतारने हेतु साईट पर गये तो उपभोक्ता स्वंय वहॉ पर नहीं थे एवं कनेक्शन काटते ही एक महिला द्वारा भारी विरोध किया गया उनके द्वारा आपसी विवाद बताते हुए शपथपत्र दिया गया (संलग्न है), तथा कनेक्शन नही काटे जा सके ततपश्चात् उपभोक्ता द्वारा पुनः विद्युत कनेक्शन काटने हेतु कहा गया तो दोनों कनेक्शन को काट दिया गया है, किन्तु विद्युत संयोजन संख्या CD17199556220 का मीटर घर के अन्दर होने के कारण नही उतारा जा सका है, उपभोक्ता स्वंय गेट खोलकर अपनी उपस्थिति में मीटर उतरवाते है तो

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त मीटर उतार कर पी0डी0 कर दिया जायेगा, साथ ही मान्नीय मंच को अवगत कराना है कि वर्तमान में उक्त दोनो संयोजन कटे हैं औ्र बिलिंग बन्द है।

उपरोक्त चर्चा के उपरानत मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के आवेदन के क्रम में नियामानुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, परिवादी की उपस्थिति में आगे की कार्यवाही की जायेगी। मंच द्वारा परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिसर पर अपनी उपस्थिति की पूर्व जानकारी विपक्षी को उपलब्ध कराये ताकि विपक्षी द्वारा नियामानुसार अग्रित कार्यवाही कर शिकायत का समाधान किया जा सकें।

उक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त परिसर पर अपनी उपस्थिति की पूर्व जानकारी विपक्षी को उपलब्ध कराये ताकि विपक्षी द्वारा नियामानुसार अग्रित कार्यवाही कर शिकायत का समाधान किया जा सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।**

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10.09.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10.09.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 28 / 2024

श्री दिनेश सिंह (सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक) ,पुत्र स्व0 पन्नालाल सिंह, निवासी–उत्तराखण्ड सचिवालय सहकारी आवासीय कालोनी निकट विजिलेंस ऑफिस भारूवाला ग्रांट, देहरादून। — परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 10.09.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उत्तराखंड सचिवालय आवासीय सहकारी कॉलोनी का गठन वर्ष 2015–16 में हुआ था। व 2021 में उपरोक्त स्थान पर मेरे द्वारा आवास बनने से पूर्व दिनांक 21.01.2021 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन भुगतान पावती क्रमांक E1636237 पर 1000 रूपये की रसीद कटवाई थी। छायाप्रति संलग्न है। जेई बडोनी ज द्वारा सर्वे किये जाने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया। अपने भवन का निर्माण कार्य पूरा कर के उपरान्त वर्ष 2022 से उक्त निर्मित भवन पर सपरिवार निवास कर रहा हूँ। अन्य लोगों (2– श्री भगवती प्रसा

गोदियाल, 3–श्री राजेन्द्र सिंह बोनाल, 4– श्री गंगा प्रसाद उनियाल, 5– श्री दिनेश बल्लभ शाह, 6– श्री विजयपाल, 7– श्री योगेश विष्ट, 8– श्री मोहित पालीवाल, 9– श्री प्रमोद शाह, 10– श्री सोबन सिंह चौहान, 11– श्री आफताब व 12 – श्री नदीम के द्वारा भी उक्त कालोनी में अपना अपना भवन बनाने से पूर्व विद्युत कनेक्शन के लिए कई बार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के जेई व एसडीओ श्री कुलदीप सिंह बिष्ट जी से व्यक्तिगत मिलकर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, उसके उपरान्त भी बिना कारण बताएं हमें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। मेरे साथ–साथ अन्य लोग भी अपना–अपना भवन निर्माण कर निवास कर रहे है व कुछ भवन निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के एसडीओ बिष्ट जी द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु यह बताया गया कि आपकी एक कॉलोनी है। कॉलोनी में जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लग जाता है तब तक विद्युत कनेक्शन देना संभव नहीं है। जबकि आवासीय कॉलोनी के लिए नइम अब्बास पुत्र श्री मोहम्मद अब्बास के नाम कनेक्शन सं0 SD15711518937 अकांउट नं0 42201048065 वर्ष 2023 में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गय है। बिल की छायाप्रति संलग्न है, परन्तु हम लोगों को विद्युत कनेक्शन देने से वंचित कराया गया। काफी प्र. ों के बाद एमडीडीए द्वारा अपने स्वामित्व वाले खाता संख्या 1884 खसरा संख्या 546 मान्नीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के घोषणा के अनुपालन में सडक निर्माण कर डामरीकरण का कार्य गतिमान है। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त नव निर्मित सडक के किनारे सर्वे कर चिन्हीकरण करने के उपरान्त दिनांक 06

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

03.2024 को EE MDDA op transport Nagar MDDA देहरादून को उनके पत्र के क्रम में एमडीडीए द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को 1726019.00 रूपये जमा किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ के अनुपालन में एमडीडीए द्वारा 31 मार्च 2024 से पूर्व उपरोक्त दर्शायी गयी धनराशि को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन में जमा कर दिया गया था। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा पूर्व में सर्वे कर चिन्हित किए गए स्थान पर दिनांक 01.04.2024 को लोहे के पोलों को शिफ्टिंग, नए पोल स्थापित व ट्रांसफार्मर को स्थापित किए जाने का कार्य जेई कारगी ग्रांट बडोनी जी के माध्यम से किया जा रहा था। उसी दौरान कारगी ग्रांट मुस्लिम बस्ती से इस्लाम व आफताब के द्वारा विद्युत विभाग के जेई श्री बडोनी जी को यह कहते हुए की इस स्थान पर खतौनी खाता संख्या 1884 खसरा संख्या 546 निम्न में से 1.5 हेक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गयी है व मान्नीय उच्च न्यायालय में स्टे है इसलिए यहाँ कार्य न करें जबकि मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.01.2024 को जारी किया हुआ आदेश की छाया प्रति दिखाई गई जिसमें मान्नीय उच्च न्यायलय द्वारा स्पष्ट लिखा था की इस न्यायालय को याचिका करतावादी द्वारा दायर अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदक को खारिज करते समय नीचे की अदालतों द्वारा पारित निर्णय और आदेशों में कोई खामी नहीं मिली इस मामले को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि कब्रिस्तान समिति या वक्फ बोर्ड जैसा भी मामला हो 15 दिनों के भीतर कब्रिस्तान की सीमाओं और संपत्ति के सीमांकन के लिए एक आवेदन दायर करेगा तो सलाह दी जाएगी छायाप्रति संलग्न है। मान्नीय उच्च

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

न्यायालय के द्वारा कोई भी स्थगन आदेश पारित नही हुआ जबकि विरोध करने वाले व्यक्तियों के पास बिजली के पोल शिफ्टिंग करने, नए पोल स्थापित करने व ट्रांसफार्मर लगाए जाने के विरोध में किसी प्रकार मान्नीय उच्च न्यायलय का स्थगन आदेश नहीं था जबकि व्यक्तियों द्वारा राजकीय कार्य को किए जाने में बाधा उत्पन्न किया गया है, जिसके संबंध में बिजली विभाग द्वारा संबन्धित थाने में अभियोग पंजीकृत करना शमीचीन प्रतीत होता है। दिनांक 01.04.2024 को विद्युत विभाग के द्वारा सरकारी कार्य को बाधित किया गया है विद्युत विभाग से संपर्क करने पर विद्युत विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है की उक्त प्रकरण में जांच चल रही है, प्रकरण की जांच में विद्युत विभाग द्वारा अभी तक विरोध करने वाले व्यक्ति से खाता संख्या 1884 खसरा संख्या 546 में विद्युत पोल लगाए जाने हैं का स्वामित्व होने का प्रमाण उपलब्ध नही कराया गया है, जबकि उपरोक्त खसरा एमडीडीए के स्वामित्व में है तथा सडक का कार्य एमडीडीए द्वारा कराया जा रहा है तो जांच किस प्रकार की जा रही है इससे प्रतीत होता है की विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी अधिकृत न्यायालय के स्थगन आदेश के कार्य को रोके जाने पर बडा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसके उपरान्त भी बिजली विभाग से लगाातार अनुरोध किया जा रहा है कि आप बिजली पोल शिफ्टिंग, बिज. पोल स्थापित व नया ट्रांसफार्मर लगाए तथा आवासीय कॉलोनी में निवासरत परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध करने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस्लाम द्वारा मात्र दिए गए प्रार्थाना पत्र पर विभाग द्वारा शिकायत करने वाले व्यक्ति से उक्त खसरे का स्वामित्व होने का

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रमाण भी नही मांगा गया और मान्नीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए आदेश की प्रति को गहनता से पढकर निर्णय लेने का भी प्रयास नहीं किया गया। जब हम लोगों के द्वारा नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त किए जाने हेतु अपने–अपने आवदेन पत्रों को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन में जमा किया गया तो हम लोगो से संबन्धित जमीन की रजिस्ट्री की छाया प्रति के साथ–साथ अध्यावधिक खतौनी की नकल मांगी गई जबकि शिकायतकर्ता से यह नहीं पूछा गया कि आपके पास उपरोक्त दर्शाये गए खसरे का मालिकाना हक है या नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत विभाग द्वारा एक तरफा एक पक्ष की सुनकर सरकारी कार्य को बाधित करने का कार्य स्वयं ही किया जा रहा हैं। दिनांक 24 जनवरी 2024 को कार्यालय उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के द्वारा अपने पत्रांक आरटीआई 83/2023–2024 श्री सतीश शर्मा के द्वारा सूचना के अधिकार पर सूचना मांगी गई थी पर अपनी रिर्पोट प्रेषित की गई हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यालय उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा अपने प्रति उत्तर में अंकित किया है कि अवगत कराना है कि वर्तमान अवधि में खसरा संख्या 546 रकवा 1.5 हेक्टर कब्रिस्तान कारगी ग्रांट की संपति को वक्फ अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु श्रीमती गुलिस्ता खानन निवासी मुस्लिम बस्ती कारगी ग्रांट देहरादून की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। छाया प्रति संलग्न है इस्लाम द्वारा स्वयं को मुस्लिम कमेटी का सदर होना बताया जा रहा है सदर होने का प्रमाण ना ही वक्फ बोर्ड में अंकित है ना कोई समिति इनके द्वार गठित की गई है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

महोदय मान्नीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन की घोषणा के क्रम में सतर्कता निदेशालय से लेकर उत्तराखंड सचिवालय आवासीय सहकारी कॉलोनी तक एमडीडीए द्वारा एमडीडीए की भूमि जो राजस्व अभिलेखों मे एमडीडीए के नाम पर है का निर्माण कार्य गतिमान है खतौनी की छायाप्रति संलग्न है। विद्युत विभाग से लगातार कनेक्शन दिए जाने हेतुं प्रपत्र मय दस्तावेज के विद्युत विभाग उत्तराखंड पावर कारपोरेशन में जमा कर दिया हैं। कनेक्शन प्रदान किए जाने की प्राप्ति की छाया प्रति संलग्न है।

महोदय सरकारी भूमि जो एमडीडीए के स्वामित्व में है, पर सरकार के संस्थान (विद्युत विभाग) द्वारा सर्वे करने के उपरान्त बिजली पोल लगाया जा रहा है इसका विरोध किया गया विद्युत विभाग एसडीओ टर्नर रोड श्री बिष्ट जी द्वारा उत्तराखंड सचिवालय सहकारी आवासीय समिति से दिनांक 15.04.2024 को (Right of way) पेपर मांगे थे। उक्त से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज दिनांक 20.04.2024 को उत्तराखण्ड सचिवालय सहकारी आवासीय समीति द्वारा उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक विद्युत कनेक्शन, पोल शिफ्टिंग व विद्युत ट्रासफार्मर को स्थापित कर नए कनेक्शन न दिए जाने के कारण आवासीय कॉलोनी में निवासरत विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारियों को बिना बिजली कनेक्शन के परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः उत्तराखण्ड सचिवालय आवासीय सहकारी कॉलोनी में निवासरत लोक सेवक एवं सेवानिवृत्त लोक सेवको के परिवारों की समस्या को व बढते हुए तापमान को मध्य नजर रखते हुए बिजली विभाग को इस्लाम व आफताब द्वारा दिनांक 01.04.2024

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

को बिना स्थगन आदेश के कार्य को रोकने व स्लाम द्वारा दिए गए प्रार्थाना पत्र (जो की निराधार है) की जांच हो गई हो तो बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 246, दिनांकित 19/06/2024 से मंच को अवगत कराया है वाद सं0 28/2024 श्री दिनेश सिंह (सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक) पुत्र स्व पन्नालाल सिंह, उत्तराखण्ड सचिवालय सहकारी आवासीय कालोनी निकट विजिलेंस ऑफिस,भारूवाला ग्रांट, देहरदून के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना है—:

1. उत्तराखण्ड आवासीय सहकारी समिति हेतु प्रस्तावित विद्युत सबस्टेशन एवं लाइन निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 1,70,8188.00 रसीद सं0 049905/07 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से जमा कराई गई।
2. जिसके उपरान्त उक्त कार्य को करवाने हेतु जब कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 01.04.2024 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, तो स्थानीय लोगों द्वारा उक्त कार्य को करने में व्यवधान उत्पन्न किया गया, साथ ही श्री मो0 इस्लाम द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया कि " जिस मार्ग से विद्युत लाईन का निर्माण किया जा रहा है, वह भूमि कब्रिस्तान की है, अतः उक्त कार्य को तत्काल बन्द कराया जाये।"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. वर्तमान समय में उक्त कार्य करवाने हेतु समुचित right of way उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। Righ of way उपलब्ध करने एवं दोनों पक्षों में समुचित वार्ता हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसका समाधान होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

विपक्षी की एक अन्य आख्या पंत्राक संख्या 373 दिनांकित 25.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड आवासीय सहकारी समिति हेतु प्रस्तावित विद्युत सबस्टेशन एवं लाइन निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 1,70,8188.00 रसीद सं0 049905/07 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से जमा कराई गई, परन्तु दूसरे पक्ष द्वारा विवाद एवं उक्त कार्य करवाने हेतु समुचित Righ of way उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया।

वर्तमान में वैकल्पिक मार्ग से प्रस्तावित कार्य सम्पन्न करा दिया गया है। साथ ही शिकायकर्ता का विद्युत संयोजन भी स्वीकृत करा दिया गया है, जिसका संयोजन शुल्क उनके द्वारा जमा किया जाना शेष है। संयोजन शुल्क जमा होने के उपरान्त विद्युत संयोजन नियामानुसार निर्गत कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत विद्युत संयोजन समय से प्राप्त न होने के संबंध में है, विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड आवासीय सहकारी समिति हेतु प्रस्तावित विद्युत सबस्टेशन एवं लाईन निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 1,70,8188.00 रसीद सं0 049905/07 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से जमा कराई गई, परन्तु दूसरे

पक्ष द्वारा मौके पर विवाद उत्पन्न करने के कारण उक्त कार्य करवाने हेतु समुचित Righ of way उपलब्ध नही होने के कारण परिवादी हेतु निर्माण की जा रही विद्युत लाईन का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लाईन निर्माण हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते ही प्रस्तावित कार्य सम्पन्न करा दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता का विद्युत संयोजन भी स्वीकृत करा दिया गया है, जिसका संयोजन शुल्क उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। संयोजन शुल्क जमा होने के उपरान्त विद्युत संयोजन नियामानुसार निर्गत कर दिया जायेगा।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10.09.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10.09.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वा
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंव
देहरादून –
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,27
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–
ई–मेल cgrfgz@gma

परिवाद सं0 34 / 2024

श्रीमती विमला देवी, — परिवादी
नि0 53 ई, ईदगाह कुमार मण्डी,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 05.09.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी परिवादी द्वारा असाधारण विद्युत बिल संशोधित कराने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के कथानानुसार उनका बिल माह मार्च से मई 2024 तक का बिल उपभोग से अधिक आया हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि कृपया विषय को अपने संज्ञान में लाने की कृपा करें जिससे की उनकी समस्या का निवारण किया जा सके।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में अपने पत्रांक संख्या 305 दिनांकित 10/06/2024 द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गयाः–

1. दिनांक 24.06.2024 को उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर हेतु आवेदन करने के उपरान्त दिनांक 24.06.2024 को उपभोक्ता के मीटर सं0 U230674 के साथ चैक मीटर स्थापित किया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. दिनांक 09.07.2024 को चैक मीटर उतारा गया। चैक मीटर तथा मेन मीटर में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

3. चैक मीटर रिर्पोट के अनुसार चैक मीटर तथा मेन मीटर में कोई अन्तर न पाये जाने के कारण उपभोक्ता के बिल में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

4. उपभोक्ता के पुराने विद्युत मापक सं0 U230674 की एम0आर0आई0 नहीं हो पायी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को माह मार्च से मई 2024 तक वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

05/09/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

05-09-24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 40 / 2024

श्रीमती किरन बिष्ट
निवासी– भाऊवाला
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 04.09.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

I am writing to your attention a discrepancy I have noticed in my current bill for connection number CD11267068478. The bill dated 7-06-2024, reflects a higher than expected consumption of electricity, which does not align with my usage pattern for the billing period. Given the unexpected variance, I kindly request a review and re-evaluation of my account and a revised bill that accurately reflects my actual electricity usage, If

necessary, I am willing to provide additional information or facilitate an inspection to resolve this matter promptly.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक शून्य, दिनांकित शून्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या CD11267068478 के परिवाद सं0 40/2024 श्रीमती किरण बिष्ट, निवासी भाऊवाला, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 आदि योजित किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के माह 03/2024 की गणना सी.डी.एफ. के आधार पर की गयी चूंकि उपभोक्ता का मीटर नो डिसप्ले होने के कारण मीटर की एम0आर0आई0 करना संभव नही है जिस कारण उक्त माह की वास्तविक यूनिट की गणना करना सम्भव नही है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त उपभोक्ता की गणना माह 12/2023, 01/2024 व 02/2024 के Acerage के आधार पर की जाये जिससे उक्त बिल में सुधार किया जा सकें।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 07.02.2024 से दिनांक 07.06.2024 अर्थात् 122 दिनों में 2825 यूनिट के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में रही है और न ही विवादित बिल चक्र के बाद। विपक्षी ने अपनी आख्या में स्वंय स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ता के माह 03/2024 की गणना सी.डी.एफ. के आधार पर की गयी चूंकि उपभोक्ता का मीटर नो डिसप्ले होने के कारण मीटर की एम0आर0आई0 करना संभव नही है जिस कारण उक्त माह की वास्तविक यूनिट की गणना करना सम्भव नही है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त उपभोक्ता की गणना माह 12/2023, 01/2024 व 02/2024 के Average के आधार पर की जाये जिससे उक्त बिल में सुधार किया जा सकें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नही किया गया है, जिस कारण उक्त शिकायत की उत्पत्ति हुई है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 06.03.2024 एवं 07.06.2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की विद्युत औसत खपत 02/2024, 01/2024, एवं 12/2023 कमशः (144+109+123/3 = 12.33 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** के विनियम् का उल्लंघन कर परिवादी को दिनांक 06.03.2024 एवं 07.06.2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की विद्युत औसत खपत 02/2024, 01/2024, एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

12/2023 कमशः (144+109+123/3 = 12.33 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

04/09/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

04.09.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवार
(गढ़वा
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून –
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,27
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–
ई–मेल cgrfgz@gmail

परिवाद सं0 41 / 2024

श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खुशीराम,
निवासी– ग्राम–नम्बपरपुर, पो0 जस्सोवाला,
जिला–देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक : 14.09.2024
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या VN23224012001 के विद्युत बिल दिनांकित 10.06.2024 को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उपरोक्त संयोजन संख्या पर प्रेषित विद्युत बिल निरन्तर जमा किये जाते रहे है, उनके द्वारा फरवरी में प्राप्त बिल का भुगतान भी कर दिया गया था, परन्तु उन्हें जून 2024 में रू0 15614 का 2 माह का विद्युत बिल भेजा गया जो कि उनकी वास्तविक रीडिंग से काफी अधिक था, जो कि गलत है। परिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 24.04.2024 को विद्युत मापक बदले की सूचना उन्हें नही दी गई और न ही उनसें मीटर बदले जाने संबंधी सीलिंग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये। परिवादी का कथन है कि उन्हें मीटर बदले

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जाने संबंधी सीलिंग प्रमाण पत्र घर के बाहर पडा मिला और उक्त सीलिंग प्रमाण पत्र में उपभोक्ता के हस्ताक्षर वाले स्थान पर अंकित हस्ताक्षर उनके नहीं है क्योकि वह हिन्दी भाषा में हस्ताक्षर करत है और सीलिंग प्रमाण पत्र पर अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर किये गये है।

परिवादी का अपने शिकायती पत्र के माध्यम से निवेदन है कि उनके उपरोक्त विद्युत बिल को सही करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी अधिशासी अभियन्त ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2312 दिनांकित 03/07/2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

1. परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN&10 Other Domestic Load upto 04 KW 08 मार्च 1990 को निर्गत किया गया है जिसकी संयोजन सं० VN23224012001 है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में अवगत कराया गया है कि उनको माह जून 2024 का बीजक रू0 15614.00 का प्राप्त हुआ, जो उनकी वास्तविक खपत से बहुत अधिक है।
3. परिवादी की शिकायत के आधार समस्त आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि परिवादी का विद्युत मीटर दिनाँक 24.04.2024 को बदला गया।
4. विद्युत परीक्षणशाला द्वारा पुराने बदले गये मीटर की प्रविष्टि में परिवादी के पुराने मीटर में 15171 रीडिंग अंकित की गई है (कन्ज्यूमर हिस्ट्री संलग्न)।
5. परिवादी को माह जून 2024 का बीजक वास्तविक खपत के आधार पर ही प्रेषित किया गया है। अतः मा० फोरम को सूचनार्थ प्रेषित।

विपक्षी की एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या शून्य दिनांकित 14.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 04 कि0वा0 कनैक्शन संख्या VN23224012001 पर विद्युत परीक्षण शाला विकासनगर, के उपखण्ड अधिकारी सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन पर एम0आर0आई0 करना सम्भव नही हो पा रही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 07/02/2024 से मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 24/04/2024 अर्थात् 77 दिनों में 1 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 2115 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 77 दिन में 2115 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 27.46 यूनिट अथात् 28 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। विपक्षी उक्त विवादित खपत को प्रमाण सहित का प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। 1 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 28 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 2115 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि (LDHF) सूत्र के अनुसार भी परिवादी की स्वीकृत मॉग एवं अधिकतम मॉग के अनुसार भर एक बिल चक्र में 2115 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 10/06/2024 को पुराने मापक की रीडिंग के अनुसार प्रेषित विद्युत

बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 10/2023, 08/2023 एवं 06/2023 क्रमशः (256+184+216/3=218.66 यूनिट अथात् 219 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 10/06/2024 को पुराने मापक की रीडिंग के अनुसार प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 10/2023, 08/2023 एवं 06/2023 क्रमशः (256+184+216/3=218.66 यूनिट अथात् 219 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/09/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

14.09.20
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 42 / 2024

श्री करन अरोडा,
निवासी– 28, टैगौर विला, चकराता रोड़,
नियर नटराज सिनेमा,
जिला–देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक : 12.09.2024
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या CD72111011078 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके घर का मीटर एक जगह से सरकारी प्रबन्धक द्वारा स्थानानतरित किया गया जिसके बाद उनके एक माह का विद्युत बिल रू0 12194.00 आया, जबकि आज तक उनका विद्युत बिल रू0 2000.00 से रू0 2500.00 से अधिक नही आया है। उनके द्वारा मीटर की जॉच भी कराई गई है। उनके द्वारा हर कार्यालय से मदद मागी गई परन्तु किसी के भी द्वारा कोई सहायता नहीं की गई। परिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया कि उनके विद्युत मीटर से एक नई तार जा

रही थी, जब उनके द्वारा विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दी गई तो विद्युत विभाग द्वारा तार हटा दी गई, जिसके बाद उनका विद्युत बिल सामान्य आया है। परिवादी के अनुसार विद्युत विभाग/विद्युत मीटर एंव किसी विद्युत कर्मचारी की गलती से रू0 12194.00 का बिल उन्हें दिया गया है वह उस बिल को जमा करने में असमर्थ है।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 296 दिनांकित 05/07/2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

1. उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं० CD72111011078 (5kw) श्री के. के अरोड़ा के नाम से 28 टैगोर विला में स्थापित है।
2. उपभोक्ता द्वारा माह अप्रैल 2024 का बिल अधिक आने पर उपखण्ड कार्यालय को सूचित किया गया था। जिसके उपरान्त उनके मीटर सं० 08069823 की एम.आर.आई दिनांक 20.05.2024 को करवाई गयी थी। एम.आर.आई रिर्पोट के अनुसार माह अप्रैल से विगत छहः माह की रीडिंग निम्नवत पायीं गयी:–
3. एम.आर.आई रिर्पोट पर उपभोक्ता की रीडिंग सही पाये जाने पर उपभोक्ता को चेक मीटर हेतु आवेदन करने हेतु अवगत करवाया गया। चेक मीटर रिर्पोट के अनुसार उपभोक्ता का पुराना मीटर सं० 08069823 छहः प्रतिशत धीमा पाया गया है। चेक मीटर की रिर्पोट संलग्न हैं।
4. उपभोक्ता द्वारा माननीय मंच को दी गयी शिकायत में उल्लेख किया गया है की उनके मीटर से एक तार जोड़ी हुई थी। इस संबंध में अवगत करवाना है की स्मार्ट सिटी परियोजना के अर्न्तगंत चकराता रोड़ पर विद्युत लाईनों को भूमिगत किया गया है। भूमिगत लाईन से विद्युत मीटरो को जोड़ने का कार्य माह फरवरी में किया गया था। उपभोक्ता के मीटर की incoming की तार से लूप लेकर विद्युत संयोजन सं०

CD62116011076 की incoming में जोड़ी गयी है, जो की वर्तमान में भी यथास्थिति में है। विद्युत संयोजन सं० CD62116011076 के मीटर सं0 63187299 की जाँच करने पर रीड़िग सही पायी गयी है। वर्तमान में यह दुकान बंद है।

5. माह मार्च में विद्युत संयोजन सं० CD72111011078 एवं CD62116011076 की खपत पूर्व की भांति ही पायी गयी है। माह अप्रैल में विद्युत संयोजन सं० CD72111011078 की खपत तथा विद्युत मॉग में वृद्धि पायी गयी है तथा विद्युत सयोजनं सं० CD62116011076 की खपत सामान्य पायी गयी है।
6. उपरोक्त से स्पष्ट है की माह अप्रैल में विद्युत संयोजन सं० CD72111011078 की खपत में वृद्धि सम्भवतया उपभोक्ता की विद्युत प्रणाली के किसी आंन्तिरक दोष अथवा विद्युत मीटर के असामान्य व्यवहार के कारण हुई है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 20/03/2024 से 24/04/2024 अर्थात् 35 दिनों में 5 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 1734 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 35 दिन में 1734 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 49.54 यूनिट अथात् 50 यूनिट प्रतिदिन की खपत का कोई भी प्रमाण आदि प्रस्तुत करने में विपक्षी नाकाम रहा है। 5 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 50 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रो
देहरादून – 2480(
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 1734 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि (LDHF) सूत्र के अनुसार भी परिवादी की स्वीकृत मॉग एवं अधिकतम मॉग के अनुसार भर एक बिल चक्र में 1734 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 24/04/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 03/2024, 02/2024 एवं 01/2024 क्रमशः (150+167+191/3=169.33 यूनिट अथात् 170 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 24/04/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 03/2024, 02/2024 एवं 01/2024 क्रमशः (150+167+191/3=169.33 यूनिट अथात् 170 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12.09.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12.09.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 43/2024

Shri. Amit Ranjan Mishra **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 09.09.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 09.09.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्ष द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या पत्रांक संख्या 736 दिनांकित 09.09.2024 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका विद्युत मापक पिछले दो माह से खराब है, जिस कारण उनकी विद्युत खपत अधिक के विद्युत बिल उन्हे प्रेषित किये जा रह है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत बिल संशोधित कर हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 736 दिनांकित 09.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्री अमित रंजन मिश्रा, 27, ए, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून (विद्युत संयोजन संख्या SD16133156813) का बि संशोधन कर खण्ड कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

इस संबंध में उपभोक्ता के लेजर की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि उपभोक्ता की बिल संशोधन हो गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अप लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जा के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09.09.2024 — 09-09-2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 45 / 2024

श्रीमती राज रानी पत्नी स्व0 के0सी0 भाटिया — परिवादी
निवासी– मकान सं0–662, ग्रांउड फ्लोर,
इंदिरा नगर कालोनी, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 26/09/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding not received the electricity bill since 03 months. The Complaint submits and prayer is made below:-

1- That the complaintant Mrs. Raj Rani is the owner in possession of residential property bearing House no. 662, Indra Nagar Colony, Dehradun, and the electricity connectionon the above property is also registered in the name of the complainant vide Account No. 41701064461 and Connection No. SD16313172945.

2- That the since the month of June, 2023, the complainant was not being served with the physical copy of the bill of the above property.

3- That in the month of August,2023, when the complainant realized that she had not received the electricity bill since 3 months,she went to electricity office, Vasant Vihar and asked about her bill, the authorities asked her to pay through online portal. When the complainant checked the outstanding bill, it stood at Rs, 17457/- (Rupees Seventeen Thousand Four Hundred Fifty Seven) from 24-06-2023 to 10-06-2023, but on inititation of payment through Google pay on 24-08-2024 the same was rejected hence could not be paid.

4- That thereafter the complainant went to the area electricity office,Vasant Vihar,she was told by the electricity office to pay the pending bill with the bill of next month,which stood at Rs. 19853/-. When the complainant again tried to pay the bill Via Google pay,it got rejected again on 30-12-2023.

5- That thereafter again the complainant went to the area office and told her grievance, the same was heard and the authorities assured her that the problem will be sorted in a few days but to no avail.

6- That on 19-12-2023, to the surprise of the complainant, the authorities cut off the electricity of the complainant whereafter the complainant went to the area office again who told the complainant that her bill was not paid, the complainant said that she was constantly approaching the authorities for the reason that her bill was not being accepted

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवार
(गढ़वा
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉ
देहरादून – :
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2
ई–मेल cgrfgz@gmail.

by the server online as well as in cash, where after the authorities generated a to the date adjust bill which on the date stood at Rs. 20354/- which was paid on 19-12-2023 and accepted as was restored.

7- That thereafter the complainant had been paying her bills regularly and the last payment done by her amounted to Rs. 5059/- paid on 23-04-2024 even though not receiving the physical copies of the same.

8- That on 31st May, 2024 the complainant was surprisingly served with a text message showing an electricity bill of Rs. 43886/- which increased to Rs. 55571/- in the message received on 15th june, 2024 payable till 29-06-2024.

9- That in the month of june, 2024, the complainant had visited all the authorities she could and had also sent complaints through registered posts addressesd to Superintendent Engineer Uttarakhand Power Corporation Limited, having registered officers at 18, E.C. Road Dehradun and Kaulagarh, Dehradun, and also to Sub Divisional Officer and Lokpal (Electricity), Dehradun on 20-06-2024, but no concrete solution has been provided to the complainant till date.

10- That such conduct of the respondant constitutes breach of service on their part and is patently malafide.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

11- That the cause of Action arose in favour of complainant 31-05-20224., when the complainant was first served with a non accruing bill of Rs. 43,886/- and even after multiple requests not attended by the respondents.

12- That this Hon'ble forum has the jurisdiction to preside over and adjudicate the matter.

13- That for the matter adjudication, the matter is being valued at Rs. 6886/- requisite fee for the same is being filed herewith.

14- That therefore the above complainant humbly seeks the following reliefs:

a. The excessive bill leveled against the complainant be ordered to be set aside.

b. An amount of Rs. 25000/- be directed to be provided by the Respondents to the complainant towards her harassment by the authorities together with interest at market rate.

c. Any other relief which this Hon'ble Forum just and expedient to pass in favour of the complainant.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 554, दिनांकित 25/07/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती राज रानी, 662ए इन्दिरा नगर (विद्युत संयोजन संख्या SD16313172945) के वाद संख्या 45/2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18ई0सी0 रोड, देहरादून द्वारा को इस कार्यालय के पत्र संख्या 526/वि0वि0उ0 वसंत विहार/मीटर दिनांक 18.07.2024 से उपभोक्ता के परिसर पर पूर्व में लगे विद्युत मापक संख्या 928953 की एम0आर0आई0 करवाने एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत मापक की एम0आर0आई0 रिर्पोट तथा मीटर रीडिंग जम्प के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड, देहरादून ने अपने पत्र संख्या 207/न.वि.शा. (दे.दून) दिनांक 23.07.2024 से अवगत कराया गया एवं out of Guarantee होने के कारण स्टोर भिजवा दिया गया है, जिसकी नो डिस्पले होने के कारण एम0आर0आई0 भी सम्भव नहीं है। उक्त संयोजन की सीलिंग प्रमाण पत्र एवं अवर अभियन्ता (मापक) की टिप्पणीय आख्या की छायाप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 20.06.2023 को मीटर की अंतिम रीडिंग 1100 यूनिट दर्शाते हुए 400 यूनिट का विद्युत बिल परिवादी को प्रेषित किया गया इसके पश्चात् दिनांक 10.08.2023 को मीटर की प्रारंभिक रीडिंग 1100 एवं अन्तिम रीडिंग 9676 यूनिट दर्शाते हुए 2472 यूनिट का बिल बनाया गया, जो कि मीटर की वास्तविक रीडिंग अनुसार 8576 यूनिट का होना चाहिए था इसके पश्चात् विपक्षी द्वारा परिवादी को पुनः दिनांक 30.11.2023 को प्रारंभिक रीडिंग 3572 एवं अन्तिम रीडिंग भी 3572 एन0आर0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किया गया। कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन करने से मंच के संज्ञान में यह भी आया कि परिवादी का विद्युत मापक तकनीकी खराबी के कारण दिनांक 10.08.2023 को अन्तिम रीडिंग 9676 दर्शाने के उपरान्त दिनांक 30.11.2023 को वर्तमान रीडिंग 3572 दर्शा रहा है, जिस कारण विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 10.08.2023 से दिनांक 16.04.2024 तक के विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रेषित नही किये गये है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधान का पालन नही किया गया है जिसके कारण वर्तमान शिकायत की उत्पत्ति हुई है जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी द्वारा बिल चक्र 08/2023 से 04/2024 तक के विद्युत बिल में दर्शायी गयी असमान्य विद्युत यूनिटों की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता हैं, क्योंकि एल0डी0एच0एफ सूत्र के अनुसार परिवादी की स्वीकृत मांग एंव अधिकतम मांग के अनुसार उपरोक्त विद्युत खपत असंभव है, विपक्षी उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी को बिल चक्र 08/2023 से 04/2024 में विद्युत मापक संख्या 928953 के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक मापक को आई0डी0एफ0 मानते हुए निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की तीन विद्युत बिल चक्रों की औसत खपत 06/2023, 04/2023, 02/2023 क्रमशः (400+375+25/3= 270) यूनिट के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक 08/2023 से 04/2024 में विद्युत मापक संख्या 928953 के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक मापक को आई0डी0एफ0 मानते हुए निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की तीन विद्युत बिल चकों की औसत खपत 06/2023, 04/2023, 02/2023 क्रमशः (400+375+25/3= 270) यूनिट के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सरचार्ज देय नही होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/09/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26.09.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800'
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739!
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 46 / 2024

श्री सूरत सिंह पुत्र हुकम सिंह
निवासी– गढी मायचक,श्यामपुर
ऋषिकेश। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 23.09..2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।
परिवादी का कथन है कि श्री सूरत सिंह पुत्र हुकम सिंह, निवासी– गढी मायचक श्यामपुर, ऋषिकेश का निवासी हूँ, विगत कई महीनों से प्रार्थी अपनी समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के चक्कर लगा कर हतास हो गया है। मैं वृद्ध व्यक्ति मेरी उम्र 70 साल हो गई, इस उम्र में बिजली विभाग मुझे चक्कर लगवा रहा है।
महोदय समस्या यह है कि अक्टूबर 2023 से पहले मेरा बिजली का बिल 1000/– (एक हजार) से नीचे आता था, 12 साल से यही बिजली का बिल आता था परन्तु अचानक से अक्टूबर 2023 को मेरा बिल 12450/– का आ गया, मीटर रीडर से पूछने के बाद मैं बिजली विभाग गया तो वो भी मुझे इधर से उधर घुमा रहे हैं लेकिन अभी तक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

निवारण नहीं हो पाया आज स्थिति यह है कि 24.06.2024 को मेरा बिल रू0 28346/– है जिसका भुगतान करने में मै असमर्थ हूँ। महोदय से निवेदन है कि इस समस्या को गंभीरता से लेने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 713, दिनांकित 20/07/2024 से मंच को अवगत करांया है कि परिवाद सं0 46/2024 श्री सूरत सिंह, पुत्र श्री हुकम सिंह, निवासी– गढी मयचक,श्यामपुर ऋषिकेश, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन संख्या RK22223040191 का विद्युत बिल माह 11/2023 में मीटर रीडिंग अनुसार 3822 Kwh से 6721 Kwh तक का 2899 billed Unit कुल धनराशि 19864.00 का निर्गत किया गया। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया।

माह 11/2023 के उपरान्त उपभोक्ता के बिल माह 01/2024 में 314 यूनिट, माह 02/2024 में 132 यूनिट, माह 03/2024 में 77 यूनिट, माह 04/2024 में 158 यूनिट, माह 05/2024 में 170 यूनिट, तथा माह 06/2024 में 230 यूनिट, के माहवार निर्गत हुये है, माह 10/2023 के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल जमा न करने के कारण उपभोक्ता का माह 06/2024 तक का विद्युत बिल कुल धनराशि 27605.00 हो गया है।

दिनांक 20.07.2024 को अवर अभियन्ता, द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 84664671 की जॉच की गयी जिसमें मीटर आई0डी0एफ0 पाया गया मीटर का एम0आर0आई करने का प्रयास किया गया किन्तु विद्युत मीटर Make L&T Company Manufacturing year 2017–18 का होने के कारण मीटर का एम0आर0आई नही हो पाई है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या 84664671 को चैक मीटर के माध्यम से चैक करवाने हेतु आवेदन करने तथा चैक करवाने हेतु आवेदन करने तथा चैक मीटर शुल्क विभाग में जमा करने के उपरान्त विद्युत मीटर पर चैक मीटर स्थापित करा दिया जायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 29.11.2023 के सम्बन्ध में है। मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी के शिकायती क्रम में नोटिस जारी किया गया था, जिसके द्वारा विपक्षी ने अपनी आख्या दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी के परिसर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 84664671 (Make L&T Company) आई0डी0एफ0 पाया गया, परिवादी के परिसर पर एक मंजिल भवन में 03 रूम में कुल कनेक्टेड लोड 637 वाट पाया गया। सुनवाई तिथि 24.07.2024 को विपक्षी द्वारा पूर्व निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि दिनांक 20.07.2024 को अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 84664671 की जॉच की गयी जिसमें मीटर आई0डी0एफ0 पाया गया, मीटर क एम0आर0आई0 करने का प्रयास किया गया किन्तु विद्युत मीटर Make L&T Company Manufacturing year 2017–18 का होने के कारण मीटर का एम0आर0आई0 नही हो पाया है। उपरोक्त के उपरांत मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया था, की परिवादी के विद्युत बिलों को नियमानुसार संशोधित कर, संशोधित बिल मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा दिनांक 23.09.2024 को संशोधन उपरांत लेजर की प्रति मंच में whatsapp के माध्यम से प्रस्तुत की गई जिसका मंच द्वारा अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि परिवादी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

का विवादित विद्युत बिल संशोधित पश्चात् रू0 7923.00 का बनाया गया है। तत्पश्चात् मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः प्रस्तुत वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/09/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23.09.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 47/2024

श्री सूर्यकांत अग्रवाल,
निवासी– मैन रोड़, अपोजिट गुरू कृपा कॉम्प्लेक्स,
विकासनगर, जिला–देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 18.09.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन/खाता संख्या VN6312704040857/40103020553 का विद्युत रू0 108961.00 को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका उपरोक्त संयोजन श्री कुंज बिहारी लाल के नाम से है, जिसका बिल वह लगातार भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा रू0 108961.00 का बिल बना दिया गया है, जो कि पहले कम आता था। अतः मंच से निवेदन है कि बिल ठीक करवाने की कृपा करे जिससे की उनका मानसिक एवं आर्थिक शोषण न हो सके।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2447 दिनांकित 20/07/2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है किः–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135 27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

1. परिवादी का संयोजन श्री कुंजा बिहारी लाल, मैन रोड़, गुरूकृपा के सामने विकासनगर के नाम से जिसकी संयोजन सं० VN6312704040857 विद्युत भार 05 KW, STN-20/ Other Non Domestic More Than 4 KW And Upto श्रेणी में दिनांक 17.02.2009 को निर्गत हुआ है।
2. परिवादी द्वारा मा0 फोरम के समक्ष शिकायत सं0 47/2024 दर्ज करायी गयी है।
3. परिवादी के बीजकों की जांच की गयी जिसमें उपभोक्ता को अन्तिम बार 22.02.2024 को रीडिंग 29047 का तथा माह 03/2024 तथा माह 04/2024 को आई0डी0एफ0 के बीजक निर्गत किये गये हैं।
4. परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच की गई, जिसमें मीटर सही पाया गया तथा माह 06/2024 में कुल 42803 रीडिंग का बीजक आई0डी0एफ0 से एम0यू0 में संशोधित कर प्रेषित किया गया।
5. उपभोक्ता के विद्युत मीटर में रीडिंग पाये जाने पर बीजक खपत के आधार पर ही निर्गत किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 23/02/2024 से 18/04/2024 अर्थात् 2 विद्युत बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, तत्पश्चात् एकाएक दिनांक 28.06.2024 को 13756 यूनिट का रू0 108961.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

•पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 23/02/2024 से 18/04/2024 अर्थात् 2 विद्युत बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, तत्पश्चात् एकाएक दिनांक 28.06.2024 को 13756 यूनिट का रू0 108961.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

जिसपर परिवादी को आपत्ति है, इससे पूर्व विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

विपक्षी ने अपनी आख्या के साथा संलग्न उपखण्ड अधिकारी के पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा स्वयः भी स्वीकार किया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग भरे जाने के कारण परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिंल प्रेषित नहीं किये गये, जब विद्युत मीटर को परीक्षणखण्ड शाला द्वारा बदला गया तो उक्त विद्युत मापक में लगभग 13000 यूनिट ***Stock*** पाई गई ।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1 (2)*** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पति हुई है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 13756 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि (LDHF) सूत्र के अनुसार भी परिवादी की स्वीकृत मॉग एवं अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के अनुसार एक बिल चक्र में 13756 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 28/06/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 02/2024, 01/2024 एवं 12/2023 क्रमशः (287+257+258/3=267.33 यूनिट अथात् 268 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 28/06/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 02/2024, 01/2024 एवं 12/2023 क्रमशः (287+257+258/3=267.33 यूनिट अथात् 268 यूनिट) के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा पिवक्षी को यह भी आदेशित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

किया जाता है कि अपने स्तर से टी0डी0एस0 मैनेजमेन्ट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करें ताकि प्रदेश एवं विभाग को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18.09.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18.09.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 48 / 2024

श्री सरदार सिंह,
नि0 जगत निवास,
बोक्सा बस्ती, मेहूँवाला खालसा,
पो0ओ0 अंबारी, विकासनगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश । — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 25.09.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The Complainant registered the complaint regarding provide compensation.

The Complainant submits and prays as under:-

I am Mr. Sardar Singh, Resident of Jagat Niwas, Boksa Basti, Mehuwala Khalsa, PO Ambari, Vikasnagar , PIN 248125.

I am comsumer of UPCL Since long and have metre connection No. 41601010001 at my home.

On 19th July 2024, in 800 hours in morning , a short circuit was there in electric home appliances which include a Votas 5 star AC , A Samsung Refrigerator, wi-fi Router, Havells Geyser. When voltage was checked by me , it was more than 400 volts instead of 220.

The incidence occured due to negligence of loacal authaurities of UPCL , which led into loss of electric appliances worth more than INR 80000/- .

I request you to kindly intervene into the matter and compensate the loss I have suffered due to UPCL negligiance , your silence on matter would force me to seek help of Judiciary.

उपरोक्त के संबंध में सहायक अभियन्ता (राजस्व) के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3031दिनांकित 09/08/2024 के द्वारा निम्वत् अवगत कराया गया किः–

1. परिवादी का विद्युत संयोजन श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगतराम, बोक्सा बस्ती, मेहूँवाला खालसा, विकासनगर, देहरादून के नाम से दिनांक 09.09.20216 को श्रेणी– STN10/OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 04 KW में निर्गत किया गया है। जिसका विद्युत भार– 02 कि0वा0 है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में मा0 फोरम को अवगत कराया गया है कि उनके घर पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण उनके विद्युत उपकरण फुके गये।
3. खण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में पत्रांक सं0 733/वि0वि0ख0वि0–परिवाद सं0 48/2024 दिनांक 27.07.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, विकासनगर को शिकायत की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देर्शित किया गया।
4. परिवादी के परिसर की अवर अभियन्ता, विकासनगर द्वारा जांच की गयी जिसमें उनके द्वारा पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर कोई विद्युत उपकरण जला नहीं पाया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त आख्या का अवलोकन करने के पश्चात् मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 29.08.2024 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि परिवादी के विद्युत संयोजन से संबंधी बिजली घर की शिकायत पुस्तिका की दिनांक 19.07.2024 से 21.07.2024 की छायाप्रति मंच में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 19.09.2024 को परिवादी के विद्युत संयोजन सें संबंधी बिजली घर की शिकायत पुस्तिका की दिनांक 19.07.2024 से 21.07.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 19.07.2024 से 21.07.2024 तक परिवादी के आस--पडोस से किसी भी अन्य उपभोक्ता द्वारा हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त होने संबंधी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के संबंध में है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण के संबंध में अवर अभियन्ता, विकासनगर द्वारा जांच की गयी जिसमें उनके द्वारा पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर कोई विद्युत उपकरण जला नहीं पाया गया।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच द्वारा माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 22, 2022 UERC (Standards of Performance) Regulations, 2022 SCHEDULE-I (Guaranteed Standards of Performance) 3. Quality of Supply*** का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ***(*If apparatus of more than one consumers in close neighbourhood are affected and subject to physical verification of the damaged apparatus by the licensee within 72 hours followed***

by submission of documentary evidence by affected consumer with regard to expenses incurred on repair charges and its verification by the licensee.) उक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मंच द्वारा परिवादी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/09/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25.09.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 49/2024

Shri. Kunal Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, (Mohanpur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 02.09.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 02.09.2024 को पेश हुई। परिवादी उपस्थित है। विपक्षह अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबं में सुनवाई से पूर्व ही आख्या पत्रांक संख्या 526 दिनांकित 07.08.2024 प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा दिनांक 20.06.2024 को गणेपुर बिजली घर पर अस्थाई संयोज हेतु आवेद किया था, परन्तु शिकायत दर्ज कराये जाने की तिथि दिनांक 20.07.2024 तक उनका विद्युत संयोजन अवमुक्त नहीं किय गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को संयोजन अवमुक्त करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 526 दिनांकित 07.08.2024 के द्वारा अवगत क़राया गया वि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 06.08.2024 को जमानत धनराशि जमा कराए जाने के पश्चात् उपभोक्ता का विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई तिथि दिनांक 02.09.2024 को विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई तिथि दिनांक 02.09.2024 को व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/09/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

02-09-2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 53/2024

श्रीमती संगमित्रा सेन,
नि0 1, फ्लैट और टॉप फ्लोर,
गली नं0 4, निर्मल ब्लाक–बी, प्लाट नं0 55बी,
ऋषिकेश, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश ।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक : 18.09.2024

निर्णय

The Complainant registered the complaint regarding revision of own electricity bills.

The Complainant submits and prays as under:-

This is to inform you that I am receiving an electricity bill every month for the following connections and getting surprised to see the bill. It appears from the bill that your meter reading officer is not reaching to the meter and putting any arbitrary figures and generating bill.

For ACCOUNT NO, 42100006159 :THE METER WAS NOT WORKING SINCE JUNE 2023 AND AFTER APPLICATION FOR CHANGE OF METER IT WAS CHANGED ON 15.07.2024. But every month any meter consumption figure is provided in the bill and I am paying.

For ACCOUNT NO, 42400337718 : The new meter was installed in April 2024 but after taking reading for first bill, the next bill has been generated without taking reading with an arbitrary value of unit consumption.

My husband is working in the "Ministry of Jal Shakti" at New Delhi, so we visited Rishikesh occasionally, so your department people have taken advantage of befooling me.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

This is similar to the action in film "Batti Gul Meter Chalu".

Please look into the matter and take appropriate action in this regard for proper billing.

Also adjust the amount for A/c 42100006159 which was claimed by your department unethically.

I hope that you will stop this mal practices and advise your staff properly.

उपरोक्त के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 550 दिनांकित 07/08/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्रीमती संगमित्रा सेन, निवासी–फ्लैट नं0–ए–5, तृतीय तल और टॉप फ्लोर, गली नं0 4, निर्मल ब्लॉक–बी, प्लॉट नं0 55 बी, ऋषिकेश के विद्युत संयोजन सं0– RK12111889277 पर स्थापित विद्युत मीटर (सं0 201526) जो कि खराब था एंव उपभोक्ता को औसत खपत यूनिट के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किया जा रहा था, दिनांक 15.07.2024 को मीटर बदलने के उपरान्त नये विद्युत मीटर की 19 रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किया गया है, जिसमे किसी प्रकार का कोई संशोधित होना सम्भव नही है।

विद्युत संयोजन सं0 RK12111413907 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग 249 के आधार पर संशोधन कर बिल निर्गत कर दिया गया है, जो कि ऋृणात्मक –314.00 रू0 है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत खाता संख्या 42100006159 से संबंध संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक को परिवर्तित की शिकायत का समाधान कर दिया गया है एवं परिवादी की विद्युत खाता संख्या 42400337718 से सम्बधित शिकायत का भी विपक्षी द्वारा विद्युत बिल संशोधित कर समाधान कर दिया गया है जिसका संशोधन पश्चात् ऋृणात्मक –314.00 विद्युत बिल बनाया गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायतों

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.

का समाधान कर दिये जोने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने के कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायतों का समाधान कर दिये जोने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 60/2024

Shri. Anand Pal **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 12.09.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 12.09.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें दिनांक 23.04.2024 में जो विद्युत बिल प्रेषित किया गया वह उनकी वास्तविक विद्युत खपत से अधिक धनराशि का है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत बिल को संशोधित करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3475 दिनांकित 03.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बीजक रूपये 70550.00 से संशोधित कर रूपये 11625.00 मात्र का दिनांक 20.08.2024 को कर दिया गया है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा गणना शीट प्रस्तुत की गई, जिसे सुनवाई के दौरान परिवादी को हस्तगत कराया गया।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12.09.2024 12.09.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 73/2024

Shri. Vijay Kumar Saxena **V/s** **Executive Engineer, EDD, South D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 18.09.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 18.09.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें माह जुलाई एंव अगस्त 2024 के जो विद्युत बिल प्रेषित किये गये वह उनकी वास्तविक खपत से काफी अधिक के है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत बिल को संशोधित करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में परिवादी द्वारा ई–मेल के माध्यम से मंच से अनुरोध किया गया है कि वह अपने शिकायती पत्र को वापस ले रहे है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत वापस लिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत वापस लिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18.09.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18.09.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य